



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072022-237595
CG-DL-E-27072022-237595

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3253]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3253]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2022

का.आ. 3415(अ).—संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में का.आ. 3210(अ) के अधीन अधिसूचित आदेश के द्वारा गठित अन्य पिछड़े वर्गों के उप-श्रेणीकरण की जांच करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की समयाविधि दिनांक 31.07.2022 के बाद छः माह के लिए बढ़ाई जाती है।

2. आयोग दिनांक 31.01.2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

राम नाथ कोविन्द,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 12015/09/2017-बीसी-II]

आर. सुब्रह्मण्यम, सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****ORDER**

New Delhi, the 11th July, 2022

S.O. 3415(E).—In exercise of the powers conferred Article 340 of the Constitution, the tenure of the Commission for Other Backward Classes to examine sub-categorisation of Other Backward Classes constituted vide Order notified vide S.O.3210(E) in the Gazette of India shall stand extended for 6 months beyond 31st July, 2022.

2. The Commission shall present its Report by 31.01.2023.

RAM NATH KOVIND,
PRESIDENT

[F. No. 12015/09/2017-BC-II]
R. SUBRAHMANYAM, Secy.